Witness No. **01** For **अनावेदक साक्षी** Deposition taken the **17.07.2026** day of **शुक्रवार** Witness' apparent age **48** States on Oath. my name is **पुनीत राठौर W/D/S/o श्री ललित राठौर** occupation **विधि अधिकारी** address **श्रीराम जनरल इंश्योरेंश कंपनी लि. जी. ई. रोड महोबा बाजार रायपुर , जिला- रायपुर छ०ग०**

समय 01.45 PM

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री मुकेश गोयल अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रमांक 01 –

1. मैं जुलाई 2014 से श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. रायपुर में विधि अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। हमारी कंपनी के द्वारा एक नयी होण्डा एस.पी. 125 टू विलर का बीमा लॉग टर्म टू विलर न्यू बंडल्ड पॉलिसी के आधार पर भोगीलाल पटैल के नाम पर वाहन क्षति के लिए 15.05.2024, 14.33 बजे से 14.05.2025 एवं तृतीयपक्ष क्षति के लिए 15.05.2024, 14.33 बजे से 14.05.2029 तक की अवधि के लिए नियमों एवं शर्तों के अधीन बीमा किया गया था। जिसका बीमा पॉलिसी क्रमांक 209040/31/25/002051 है। जिसकी डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रति **प्र.डी. 01** (दो पन्नों में) पेश कर रहा हूँ।

2. इस प्रकरण में मृतक हमारे बीमा कंपनी द्वारा बीमित दो पहिया वाहन में पीलियन राईडर के रूप में यात्रा कर रहा था, जो कि तृतीय पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता है। दुर्घटना दिनांक को केवल तृतीय पक्षकार की पॉलिसी थी इसलिए बीमित वाहन में बैठे पीलियन राईडर का जोखिम बीमा पॉलिसी में आच्छादित नहीं है। बीमा पॉलिसी में पीलियन राईडर के लिए पृथक से कोई प्रीमियम भी नहीं लिया गया है। मृतक पीलियन राईडर का जोखिम बीमा पॉलिसी में आच्छादित नहीं होने से हमारी बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए देनदार नहीं है।

3. इस प्रकरण में बीमित दो पहिया वाहन का उपयोग वर्णित बैठक क्षमता के उलंघन में 3 सवारी बैठाकर किया जा रहा था । इसलिए भी हमारी बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए देनेदार नहीं है ।

**प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अजीत पटेल अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण –**

4. यह कहना सही है कि घटना दिनांक को बीमित दो पहिया वाहन तृतीय पक्ष के लिए बीमित था । यह कहना सही है कि घटना में चालक एवं वाहन स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु होने पर वह तृतीय पक्ष के अंतर्गत आता है,स्वतः कहा पीलियन राईडर तृतीय पक्षकार में नहीं आता है । यह कहना सही है कि प्र.डी. 01 में यह उल्लेखित नहीं है कि पीलियन राईडर तृतीय पक्षकार नहीं होता है, स्वतः कहा पीलियन राईडर का प्रीमियम पे नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि तृतीय पक्ष के जोखिम आच्छादन हेतु 3,851/– रूपये प्रीमियम लिया गया है । यह कहना गलत है कि पीलियन राईडर का प्रीमियम उक्त प्रीमियम में शामिल है । यह कहना सही है कि उक्त घटना से केवल एक क्षतिपूर्ती दावा पेश हुआ है, स्वतः कहा मेरे ज्ञान में 01 ही प्रकरण है । यह कहना गलत है कि मैं बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से बचाने के लिए झूठी गवाही दे रहा हूँ ।

**प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस.के. बहिदार अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्र. 02 एवं 03 –**

5. कुछ नहीं

**समय–02. 00 PM**

**साक्षी को पढ़कर सुनाया ।**
**सही होना स्वीकार किया ।**
**सही/–**
**(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव )**
**अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण**
**खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)**

**मेरे निर्देशानुसार टंकित**

**सही/–**
**(श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव)**
**अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण**
**खरसिया, रायगढ़ (छ0ग0)**